

14
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

28/8/24

पत्रावली पेश हुई वमील जाची उप.। वकील
जाची नवीन डार्चना पत्र पेश करने के अधिकार
को सुरक्षित रखते हुये डार्चना पत्र विज्ञो करना
(५) लगाता

नवीन डार्चना पत्र
पेश करने के अधिकार
को सुरक्षित रखते
हुए डार्चना पत्र
आप 25। 11 विज्ञो
करता हूँ


मानभव

मानभव

चाहते हैं। वकील पार्थी को सुना गया। वकील पार्थी द्वारा पत्रावली में निवेदन किया गया कि पार्थीगण पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः नवीन पार्थीगण पत्र पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए पार्थीगण पत्र विद्रो करवा हूँ। वकील पार्थी द्वारा इस वाक्य पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी डाली। ऐसी स्थिति में पत्रावली पत्र आगे कोई कार्यवाही सुरक्षित नहीं रह जाती है। अतः पार्थीगणों के नवीन पार्थीगण पत्र पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए पार्थीगण पत्र धारा 251A RTA पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली केसल शुमार है। नम्बर से रूम होकर दाखिल दफ्तर है।

५
उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (केकड़ी)